



IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS DABHRA, DISTRICT- JANJGIR CHAMPA (C.G.) Presiding Officer : Ravi Kumar Mahobia Judge	
[Date of Judgement : 10.12.2022] [Case No.: 556/2022] (Crime Number 47/2022, Police Station : Excise Circle Dabhra, District - Janjgir Champa, CG)	
Complainant	State of Chhattisgarh
Represented By	Shri Shyam Kumar Gupta (A.D.P.O.)
Accused	Gayatri Baghel W/o.Shri Ghuruva Baghel, aged about 56years, R/o.- Ward No.3, Sukhapali, Police Station - Dabhra, District - Janjgir Champa (at present District - Sakti), Chhattisgarh
Represented By	Shri Santosh Chandra Advocate

FORM - E

Date of offence	22.07.2022
Date of FIR	x
Date of Charge sheet	10.10.2022
Date of framing of charges	10.10.2022
Date of commencement of Evidence	10.11.2022
Date on which judgement is reserved	09.12.2022
Date of the judgement	10.12.2022
Date of the Sentencing Order, if any	x

Accused Details:

Rank of the accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1	Gayatri Baghel	22.07.2022	22.07.2022	34(1)(a) CG Excise Act, 1915	Acquitted	x	x

FORM - F

Index

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgment	1
2	Appearance of Advocates	2
3	Charge	2-3
4	Admitted Facts	x
5	Prosecution Story	3
6	-----	x
7	-----	x
8	Reasons and findings	5 - 11
9	Sentence	x
10	Period of Detention & Set-Off	x
11	Disposal of Property	12
12	Order of Compensation	x
13	Certificate under section 428 CrPC	13
14	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment or Fine)	x
15	Copy of Judgment	1 to 13

राज्य द्वारा श्री श्याम कुमार गुप्ता ए.डी.पी.ओ.।

अभियुक्ता द्वारा श्री संतोष चन्द्रा अधिवक्ता।

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 10.12.2022 को घोषित)

1. अभियुक्ता के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत यह अभियोग है कि उसने दिनांक 22.07.2022



को समय 8.00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र डभरा, जिला-
जाँजगीर चाँपा (वर्तमान जिला-सक्ती), छत्तीसगढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्थान
ग्राम सुखापाली स्थित अपने रिहायशी मकान में छत्तीसगढ़ आबकारी
अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाये गये नियम जारी की गई
अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की
गई अनुज्ञप्ति के अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में दो लीटर हाथ
भट्टी महुआ शराब अवैद्य रूप से रखा।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक
22.07.2022 को 08.00 बजे गस्त के दौरान सूचनानुसार समयाभाव
के कारण बगैर तलासी वारंट लिए गवाहों के समक्ष अभियुक्ता के मकान
में तलाशी लेने पर जप्ती पत्रक के अनुसार दो लीटर हाथ भट्टी महुआ
शराब बरामद किया गया तथा अभियुक्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) का अपराध सबूत
पाये जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर अपराध जमानतीय होने से उसे

स्वयँ के बन्धपत्र में रिहा किया गया तथा शेष कार्यवाही उपरान्त परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्ता के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनने से उक्त धारा के तहत अपराध विवरण की रचना कर पढ़कर सुनाए जाने पर अभियुक्ता ने जुर्म अस्वीकार कर प्रतिरक्षा किए जाने की माँग की।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्ता का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयँ को निर्दोष होना और बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।
6. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है:-

क्या अभियुक्ता ने दिनांक 22.07.2022 को समय 8.00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र डभरा, जिला-जाँजगीर चाँपा (वर्तमान जिला-सक्ती), छत्तीसगढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्थान ग्राम सुखापाली स्थित अपने रिहायशी मकान में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाये गये नियम जारी की गई अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुपालन या



पास की शर्त के उल्लंघन में दो लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब अवैद्य रूप से
रखा?

-:: साक्ष्य की विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष ::-

उक्त विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष:-

7. हस्तगत प्रकरण में आबकारी उपनिरीक्षक सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में बताया गया है कि माह अप्रैल 2021 से वह आबकारी वृत्त डभरा में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्त है तथा उक्त पदस्थापना के दौरान दिनांक 22.07.2022 को गस्त के दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना पर समयाभाव के कारण माल अफरा-तफरी की आशंका के बिना तलाशी वारंट लिये ग्राम सुखापाली में गवाह नेगीराम महेश्वरी एवं उदय बघेल के समक्ष संदेही गायत्री बघेल की सहमति पर गवाहों को अपनी एवं पूरे स्टाफ की जामा तलाशी देकर दोनो गवाहों के समक्ष अभियुक्ता के घर की तलाशी ली गई। तलाशी में अभियुक्ता के आधिपत्य से दो लीटर तरल द्रव बरामद हुआ, जिसका जाँच समक्ष पंचान की गई। जाँच

परिणाम एवँ अनुभव में आधार पर बरामद शुदा सामग्री को हाथ भट्टी महुआ शराब होना पाया गया, तथा मौके पर जाँच पंचनामा बनाया गया।

8. उक्त साक्षी सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) का कथन है कि मुखबीर पंचनामा एवँ सर्च वारंट न ले पाने का पंचनामा (प्र.पी.1), धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस (प्र.पी.2), जामा तलाशी पंचनामा (प्र.पी.3), तलाशी पंचनामा (प्र.पी.4), जाँच पंचनामा (प्र.पी.5), शील पेपर पंचनामा (प्र.पी.6), जप्ती पत्रक (प्र.पी.7), गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी.8), नजरी नक्शा (प्र.पी.9) एवँ मकान आधिपत्य पंचनामा (प्र.पी.10) पर उसके हस्ताक्षर हैं।
9. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि वह जिस वाहन से घटना स्थल पर गया था उस वाहन की तलाशी अभियुक्ता से नहीं कराई थी और जप्तशुदा तरल द्रव को उच्च अधिकारी को जाँच हेतु नहीं भेजा था। साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मौके का नक्शा खसरा संबंधित पटवारी से नहीं लिया है और न ही घटना स्थल के भू-स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न है।



10. आबकारी वृत्त डभरा की ओर से परीक्षित साक्षी घुरुवा राम (अ.सा.क्र.2) के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में बताया है कि साक्ष्य दिनांक 09.12.2022 से लगभग तीन-चार माह पूर्व उनके ग्राम सुखापाली पुलिस वाले आये थे तो उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, परन्तु उनके समक्ष कोई कार्यवाही या शराब की जप्ती नहीं की गई थी। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी घुरुवा राम (अ.सा.क्र.2) से प्रतिपरीक्षण स्वरूप सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीयों ने अभियुक्ता से अपने समक्ष दिनांक 22.07.2022 को ग्राम सुखापाली में स्थित अभियुक्ता के रिहायशी मकान से दो लीटर हाथ भट्टी शराब की जप्ती से इन्कार किया है।
11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जप्ती साक्षी घुरुवा राम (अ.सा.क्र.2) के द्वारा मामले का समर्थन नहीं किया गया है। प्रकरण एक मात्र अन्वेषण अधिकारी सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) के कथन पर आधारित है। आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा स्वयं के घटना स्थल पर उपस्थिति प्रमाणित नहीं की गई है। जिस

स्थान से शराब को जप्त होना बताया गया है उसके एकल आधिपत्य को प्रमाणित नहीं किया गया है। जप्तशुदा शराब को विधिवत सुरक्षा हेतु प्रेषित नहीं किया गया है। अभियुक्ता के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सका है। अतः अभियुक्ता को संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त किया जावे।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का परिशीलन किया गया।
13. उल्लेखनीय है कि जब मामला एक मात्र अनुसंधान अधिकारी के कथन पर आधारित हो तो ऐसा मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
14. वर्तमान प्रकरण में आबकारी उपनिरीक्षक सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) ने दिनांक 22.07.2022 को अभियुक्ता के घर से गवाह घुरुवा राम (अ.सा.क्र.2) के समक्ष दो लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब बरामद होना बताया है। परन्तु उक्त साक्षी घुरुवा राम (अ.सा.क्र.2) के द्वारा आबकारी उपनिरीक्षक के किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है तथा उक्त साक्षी के द्वारा अपने समक्ष अभियुक्ता से शराब की जप्ती से इन्कार



किया है। उक्त साक्षी के द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि पुलिस वालों ने उन्हें शराब नहीं दिखाया था। ऐसी दशा में प्रकरण में जप्ती कार्यवाही संदेहास्पद दर्शित हो रही है।

15. आबकारी उपनिरीक्षक सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) ने अभियुक्ता के घर से शराब जप्त करना बताया है किन्तु प्रकरण में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दर्शित होता हो कि घटना स्थल या वह घर जिससे शराब जप्त किया गया है वह अभियुक्ता के एक मात्र स्वत्व या आधिपत्य का था।

16. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी स्थान से किसी वस्तु की जप्ती की जाती है तो उस स्थान के एकल स्वामित्व या एकल आधिपत्य को प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। वर्तमान प्रकरण में जिस घर से शराब जप्त किया जाना बताया गया है उस पर अभियुक्ता का एकल आधिपत्य होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अभियोजन के विरुद्ध उपधारणा को जन्म देती है तथा इस बात पर

संदेह उत्पन्न होता है कि जिस मकान से शराब जप्त हुआ उस पर एकल आधिपत्य अभियुक्ता का था।

17. उल्लेखनीय है कि आबकारी उपनिरीक्षक सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) के द्वारा इस प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी के रूप में सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। जब एक ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही की जायें और ऐसी कार्यवाही स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित न हो तो एक मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी के कथन से दोषसिद्धि संभव नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील 1880/2011 मोहन लाल विरुद्ध पंजाब राज्य में निर्णय दिनांक 16.08.2018 अवलोकनीय है।
18. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी घुरुवा राम (अ.सा.क्र.2) के समर्थन के अभाव में जप्तीकर्ता अधिकारी सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) का कथन पूर्णतः अकाट्य, विश्वसनीय एवं संदेहरहित प्रमाणित नहीं होने के कारण यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सका है कि अभियुक्ता ने दिनांक 22.07.2022 को समय 8.00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र डभरा, जिला-



जाँजगीर चाँपा (वर्तमान जिला-सक्ती), छत्तीसगढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्थान ग्राम सुखापाली स्थित अपने रिहायशी मकान में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाये गये नियम जारी की गई अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में दो लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब अवैद्य रूप से रखा। अतः अभियुक्ता को धारा 34(1) (क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19. अभियुक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं तथा धारा 437(अ) द.प्र.सं. के अनुपालन में प्रस्तुत मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगा एवं 6 माह पश्चात् स्वमेव भारमुक्त समझा जावेगा।
20. प्रकरण में जप्तशुदा दो लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब विधिक दृष्टि से मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में

विधिवत नष्ट किया जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के द्वारा जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जावें।

21. अभियुक्ता द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि बाबत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण-पत्र तैयार किया गया जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)

(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)



अभियुक्ता द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र
(अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.	अभियुक्ता का नाम	–	गायत्री बघेल
2.	गिरफ्तारी दिनांक	–	22.07.2022
3.	जमानत दिनांक	–	22.07.2022
4.	पुलिस अभिरक्षा	–	निरंक
5.	न्यायिक अभिरक्षा अवधि	–	निरंक
6.	धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत दी गई छूट की पात्रता	–	निरंक

स्थान: डभरा

दिनांक: 10.12.2022

(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला-जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)